केरला

महिला समाख्या

वार्षिक रिपोर्ट

1998 - 1999

केरला

महिला समाख्या

वार्षिक रिपोर्ट

1998 - 1999

प्रस्तावना

यह तो बिलकुल विरोधाभास है कि हर समाधान नई समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। इसकेलिए केरल की महिलाओं की स्थिति एक अच्छा-खासा उदाहरण है। अपने प्रभावी सामाजिक विकास के सूचकों केलिए केरल को अभिनन्दन प्राप्त है, किन्तु उसके बाहरी प्रशान्त मण्डल के भीतर विपुल मात्रा में अनसुलझी और अनोखी समस्यायें छिपी पड़ी हैं। बडी उपलब्धियों की चमक-दमक से प्रभावित लोग ही महिला समाख्या के कार्यक्रम की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता पर अपना सन्देह प्रकट करते हैं।

मातृ-शिशु-स्वास्थ्य, महिला साक्षरता एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के महत्व को कम नहीं समझता। यह तो मानी हुई बात है कि देश के अन्य भागों की महिलाओं की अपेक्षा केरल की महिलायें सामाजिक कारवाईयों में तथा परिवार में निर्णय लेने में बहुत अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेती हैं। महिलाओं को रूढिबद्ध कर देनेवाली प्राचीन सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की भूमिका केरल की महिलाओं केलिए अप्रासंगिक है।

केरल की महिलायें छोटे पैमाने पर स्वयं ही अपने शिष्टाचार एवं मान-मर्यादा की रक्षा तो करती हैं, फिर भी उन्हें अपनी उद्विग्नताओं एवं वेदनाओं की कहानी कहने को है। अब भी उनका शोषण, बहिष्कार एवं अलगाव होता है। उनको पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में लिगभेद पर आधारित असमानता की घृणित वस्तुस्थिति का सामना करना पड़ता है। साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर के साथ उनमें विद्यमान असन्तुष्टि के कारण केरला महिला समाख्या को अपनी लक्ष्यप्राप्ति केलिए और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए विभिन्न कौशल एवं उपाय अपनाने की ज़रूरत है। अभी तक प्रयोग में नहीं लाये गये उपायों का प्रयोग तीव्रता से करना अपेक्षित है।

पिछले एक साल में केरला महिला समाख्या एक अत्यन्त कठिन कार्य में लगी हुई थी। वामनपुरम और अडिमाली के दो ब्लॉकों में यथार्थ का सामना करने केलिए और वास्तविक अधिकार दिलाने केलिए महिला समाख्या आवश्यक कदम उठा रही है।

के. जयकुमार
अध्यक्ष
केरला महिला समाख्या
व
सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग
केरल सरकार

तिरुवनन्तपुरम
18-10-1999

विषय - सूची

1. भारत का मानचित्र- म. स. राज्य
2. केरल का मानचित्र - म.स. जिले
3. भूमिका
4. केरला महिला समाख्या के कार्यकलाप
5. वामनपुरम का मानचित्र
6. अडिमाली का मानचित्र
7. केरल में महिलाओं के विकास संबन्धी अनुभव
8. केरल में जन योजना अभिचान और उसकी महिला-घटक योजना
9. घटनाओं और कार्य योजना की दैनिकी
10. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची
11. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत का मानचित्र

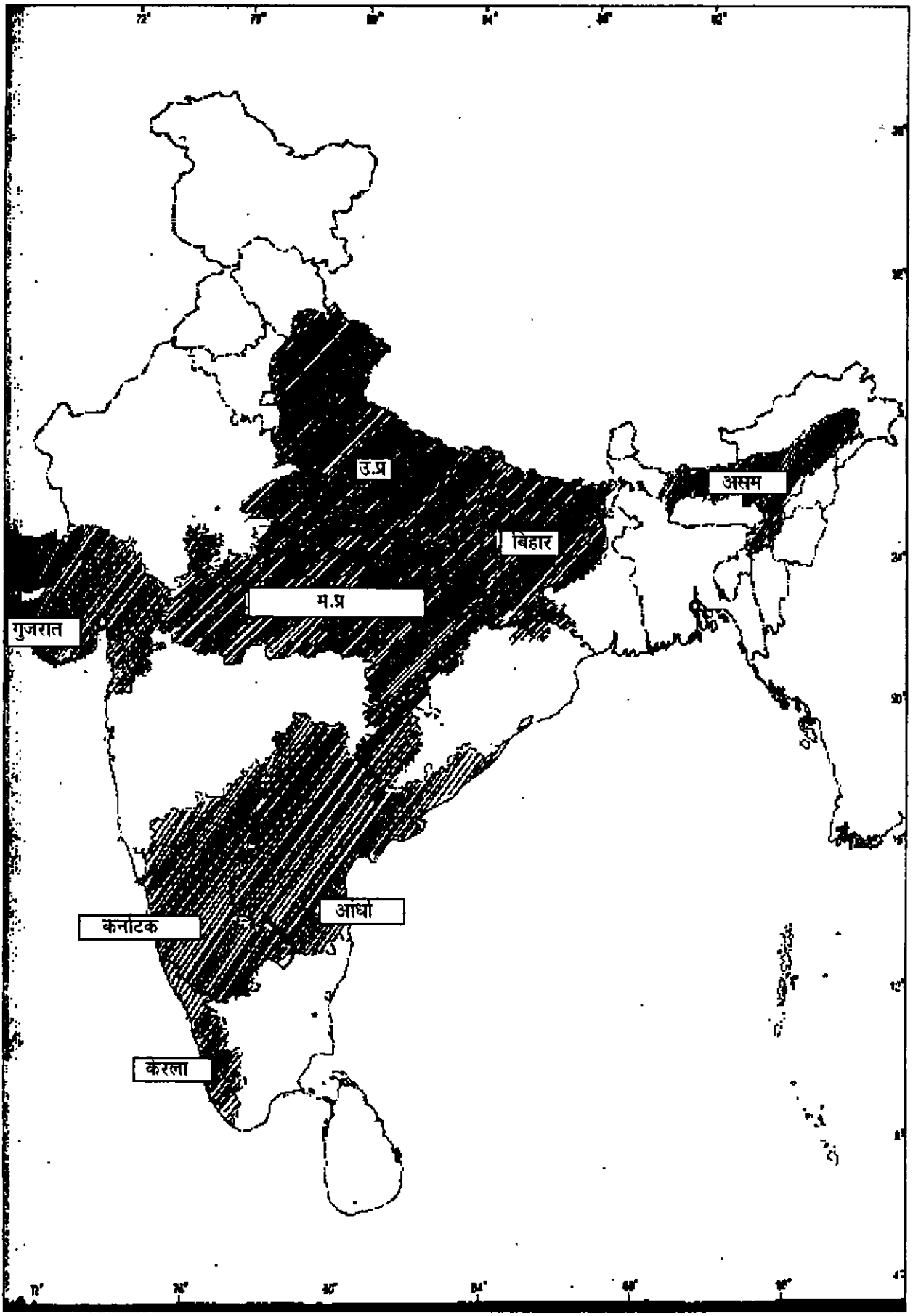

केरला का मानचित्र

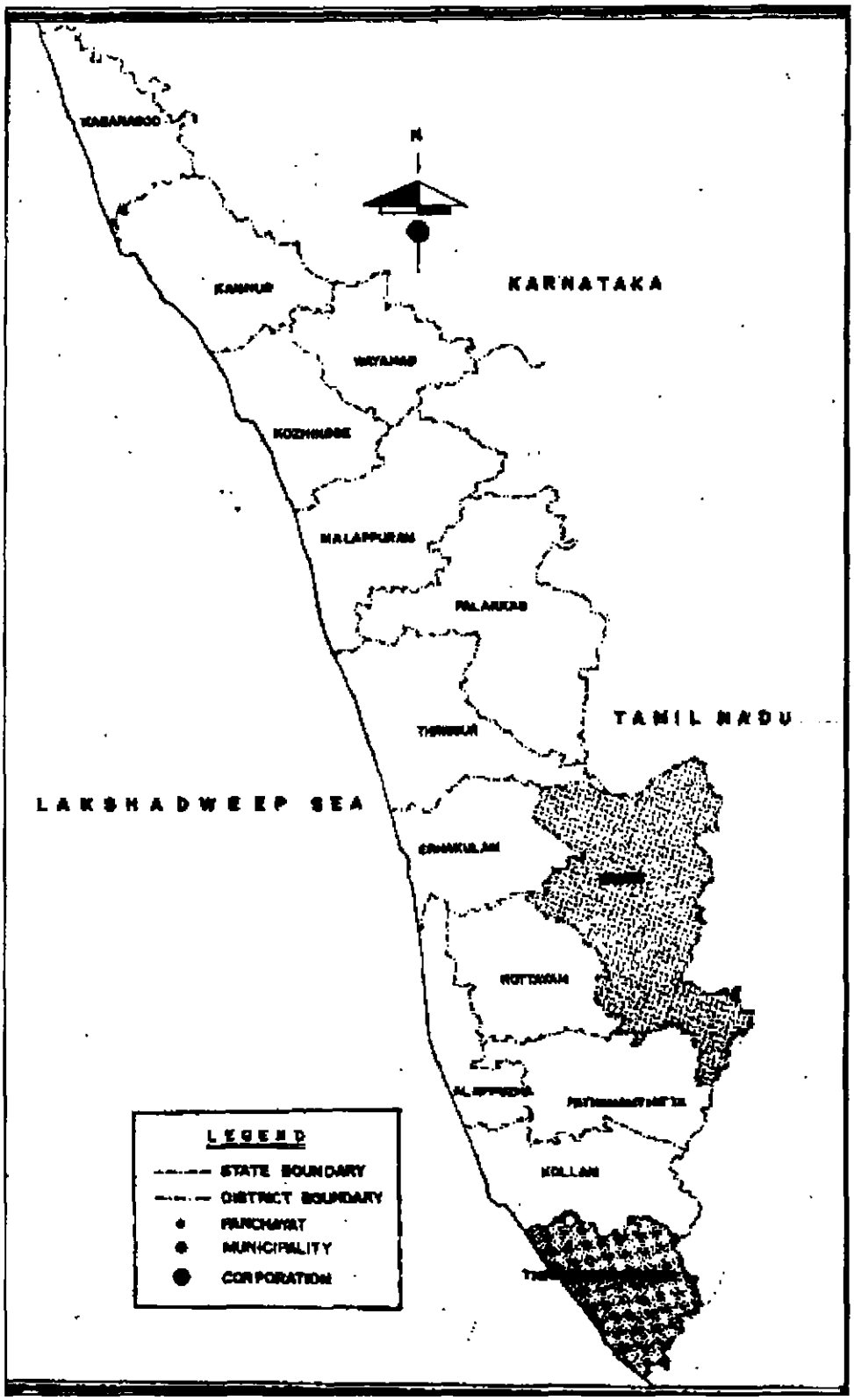
KARNATAKA
TAMIL NADU
LAKSHADWEEP SEA
KOLLAM
LEGEND
STATE BOUNDARY
DISTRICT BOUNDARY
PANCHAYAT
MUNICIPALITY
CORPORATION

भूमिका

केरल भारत के छोटे से राज्यों में से एक है जिसकी भूमि का विस्तार देश का 1.2% है, किन्तु देश की जनसंख्या के 3.4% लोग इस राज्य में निवास करते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा में पश्चिमी घाटियाँ तथा अरब सागर के रेतीले किनारे हैं। इसके 590 कि. मी. अखण्डित समुद्र तट है और इसके चौदह जिलों में से नौ जिलों की समुद्री सीमा है। इसकी वनस्पति, जीवजन्तु एवं परिस्थिति की सम्पदा भी अपूर्व है। राज्य के अगणित नारियल के पेडों के कारण ही इसे केरल नाम मिला है। माना जाता है कि यह 2000 साल प्राचीन है।

सन् 1991 ई. की जनगणना के अनुसार वर्तमान जनसंख्या 29 दशलक्ष है। गाँवों की जनसंख्या 74% तथा नगरों की जनसंख्या 26% है। इस राज्य में सर्वाधिक घनी आबादी है और प्रति वर्ग कीलोमीटर में 749 व्यक्ति रहते हैं। कुल भूमि-विस्तार के 57% में खेती खेती है और 27% वनभूमि है।

भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के एक दशक के पश्चात राज्यों के भाषाई पुन: गठन के फलस्वरूप केरल राज्य का आविर्भाव सन् 1956 ई. में हुआ। कोचिन और ट्रावनकोर नामक दो भूतपूर्व रियासतों तथा उत्तर भाग के ब्रिटिश शासित मलबार को मिलाकर एक राज्य के रूप में गठित किया गया। तीनों इकाइयाँ अपनी अपनी अलग पहचान रखते हुए भी सामान्य रूप से एक ही प्रकार का सामाजिक व्यवहार एवं भाषा अपनाती हैं। मातृपरम्परागत प्रणाली की संयुक्त परिवार की व्यवस्था, मलयालम भाषा, जाति एवं धार्मिक संप्रदाय, पवित्रता एवं प्रदूषण संबन्धी नियम और रूढियों से लोग जुड़े रहते हैं।

केरल में दुनिया भर के मुख्य धर्मों और धर्मों के सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व है। अरब के व्यापारियों के साथ बहुत पहले ही इस्लाम का आगमन केरल में हुआ। पुराने ज़माने में सामाजिक ढाँचे में जाति व्यवस्था की बडी भूमिका रही थी। विभिन्न जातियों की पहचान केलिए और उनके गहरे भेदभाव की स्पष्ट करने केलिए बडे विस्तार से नियम बनाये गये थे। नायर जाति से निम्न जाति के लोगों को जूता पहनना भी मना था और वे छतरी लेकर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा कुछ प्रकार के कपडे एवं आभूषण पहनने की इज़ाज़त उन्हें नहीं थी। निम्न जाति की महिलायें कपडों से अपनी छाती नहीं ढक सकती थीं।

विभिन्न जातियों के बीच महिलाओं की स्थिति भी भिन्न प्रकार की थी। इन सब को कई प्रकार की विशेष असमर्थताओं का सामना भी करना पडता था। मातृपरम्परागत प्रणाली केरल को देश के विभिन्न भागों से एक अलग पहचान प्रदान करती है। नायर जाति के लोगों में, कुछ भागों के मुसलमानों और कुछ अन्य जातियों में इस प्रणाली का पालन होता था। परन्तु सिरियन सम्प्रदाय के ईसाइयों, सामन्ती भूस्वामी नम्बूदिरियों और अधिकतर अन्य जातियों के लोगों में बिलकुल पितृपरम्परागत प्रणाली ही प्रचलित थी। निम्न जाति की महिलाओं की स्थिति बिलकुल असन्तोषजनक थी। सन् 1843 में दासता की प्रथा के उन्मूलन तक पुलया और परया जाति के लोग दास जाति के थे।

स्वतंत्रता-प्राति के बहुत पहले ही केरल राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बडी प्रगती हुई थी। ट्रावनकोर-कोचिन क्षेत्र के राजाओं के द्वारा, ईसाई धर्मप्रचारकों, खासकर विविध प्रकार के सामाजिक सुधार आन्दोलनों के प्रभाव के परिणामस्वरूप ही शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने प्रगति हासिल की थी। जबकि 1901 में भारत की साक्षरता 5.35 प्रतिशत थी केरल की साक्षरता 11.14 प्रतिशत थी। 1901 में केरल की महिलाओं की साक्षरता 3.15 प्रतिशत थी जबकि भारत की महिलाओं की

साक्षरता सिर्फ 0.6 प्रतिशत थी। 1806 से ही केरल में पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था और उसी साल एल. एम. एस. धर्मप्रचारकों ने तिरुवनन्तपुरम में एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की थी। लडकियों की शिक्षा प्रोत्साहित की गई थी। लडकियों के शिक्षा कार्यक्रमों में स्वास्थ्य-शिक्षा को भी प्रमुखता मिली। 1920 में ट्रावनकोर और कोचिन में औपचारिक नर्सिंग शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उसके पहले सन् 1871 ई. से ही स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ताओं के रूप में महिलाओं की नियुक्ति होती थी। 1916 में महिलाओं और शिशुओं केलिए अस्पताल स्थापित हुआ जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा होता था।

केरल में शिक्षा के द्वारा आधुनिक विचारों के प्रसार और आधुनिकता की ओर ले जानेवाले अनेक सामाजिक सुधारों के कारण सामन्ती व्यवस्था की जड ही हिल गयी थी। आधुनिक शिक्षा ने केरल के जनमानस में नये भावों, मूल्यों, अभिवांछाओं और उदारता की भावना की सृष्टि की। 19 वीं सदी के अन्त में और 20 वीं सदी के आरंभ में समाज में, विशेष रूप से परिवार के ढाँचे एवं उत्तराधिकार संबन्धी मामलों में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। मातृपरम्परागत प्रणाली और संयुक्त परिवार की प्रणाली को कानून के मुताबिक समाप्त किया गया। पितृपरम्परगात प्रणाली के एक विवाही अणुपरिवार को वैध कर दिया गया। महिलायें या तो निष्क्रिय होती थीं या उनकी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पुरुष ही उनके परिवर्तन के मुख्य समर्थक थे। इससे महिलाओं की स्थिति पर गहरा असर पड़ा। इस परिवर्तन केलिए आर्थिक पुनःगठन, खेतीबारी और औद्योगीकरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस प्रक्रिया में विकास की हिस्सेदारी में महिलाओं की उपेक्षा हुई थी। राजनीतिक हिस्सेदारी और निर्णय लेने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी बिलकुल उपेक्षा हुई। इसलिए आज का केरलीय समाज पुरुषों और महिलाओं की असमान हिस्सेदारी का नतीजा भोग रहा है।

स्वतंत्रता- प्राप्ति के पश्चात भी कई प्रकार के सामाजिक आन्दोलन हुए जिन्होंने सामाजिक समता, शिक्षा का महत्व, अधिक अच्छा वेतन, काम करने केलिए अच्छे अनुकूल वातावरण की सृष्टि, श्रम की प्रतिष्ठा आदि का प्रचार किया। भूमि सुधार संबन्धी कानूनों ने भूमि पर अधिकार से संबद्ध सुधारों पर ध्यान दिया और भूमिहीन लोगों को भूमि मिली। साक्षरता के प्रचार और वैज्ञानिक विचार को भी बल मिला। केरला शास्त्र साहित्य परिषद् (के. एस. एस. पी) केरल का एक वैज्ञानिक जन आन्दोलन है जिसने इस क्षेत्र में सफल और महत्वपूर्ण कार्य किया है। केरला शास्त्र साहित्य परिषद् ने सपूर्ण साक्षरता अभियान में नेतृत्व दिया। साक्षरता का प्रचार करने केलिए इस संस्था ने संवयंसेवकों को इकट्ठा किया जिसमें बहुसंख्यक महिलाओं ने भाग लिया था। वें महिलाओं की समस्याओं और उनके विकास में कार्यरत हैं। अस्सी के दशक में कुछ महिला गुट्टों ने महिलाओं को संगठित किया और 1990 में स्वायत्त महिला गुट्टों ने कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आजकल केरल की महिलाओं की एक श्रृँखला भी सक्रिय रूप से कर्मरत हैं जिसे 'स्त्री वेदी' कहते हैं।

केरला महिला समाख्या के कार्यकलाप

केरल सरकार भी केरल के कुछ भागों की महिलाओं की पिछडी स्थिति के प्रति संवेदनशील है और यह बात मान लेर्त है कि हालाँकि केरल की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक दशा देश के अन्य भागों की बहनों की तुलना में अधिव अच्छी है, फिर भी यह तो सच है कि महिलाओं की समर्थ करने केलिए और उनके आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की वृद्धि केलिए, विशेषकर राज्य के पिछडे स्थानों में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयास के रूप में केरल सरकार में महिला समाख्या कार्यक्रम समारंभ करने की उत्सुकता दिखायी है और पालक्काड में आरंभ करने का सुझाव दिया हैं।

डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम तीन जिलों में आयोजित किया जा रहा है और तीन जिलों में भी कार्यक्रम का विस्तार करने क विचार है जिनमें से कुछ जिले मलबार क्षेत्र के है। इस संबंध में एक मूल्य निर्धारण समिति ने नवंबर/दिसंबर 1996 के दौरान कार्यक्रम के विस्तार की तैयारी के संबंध में अध्ययन करने केलिए केरल का दौरा किया और महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया।

केरल में महिला समाख्या कार्यक्रमों की आवश्यकता

देश के अन्य भागों के विपरीत केरल में महिलाओं की स्थिति का चित्र असूयाजनक है, फिर भी कुछ अप्रकट जटिलताये हैं जो प्रत्यक्ष उपलब्धियों को व्यर्थ कर देती हैं। इस कारण महिलाओं को शिक्षा के द्वारा अधिकार दिलाने केलिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम को आरंभ करने की आवश्यकता है।

जिस सामाजिक स्थिति के अन्तर्विरोधों में सामाजिक विकास के संकेतक जहाँ सकारात्मक है वहां वस्तुत: महिलाओं की स्थिति समर्थ नहीं है और विविध अवस्था और स्तरों पर साक्षरता, लिंग पर आधारित संवेदनात्मक अध्ययन एवं जागरूकता से संबन्धित कई प्रश्न उठते हैं। इसी संदर्भ में महिला समाख्या महिलाओं के आत्मसम्मान और सामर्थ्य को बढाने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है जिससे महिलायें अपने अधिक उन्नत सामाजिक आधार का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में वे अधिक लिंग संबन्धी जागरूकता एवं न्याययुक्त वातावरण की सृष्टि में सफल होती हैं।

आनुक्रमिक मातृपरम्परागत प्रणाली के क्षय होने से महिलायें जायदाद और परिसंपत्ति पर अपना प्रभावी नियंत्रण खो बैठी है। देश के अन्य भागों की तरह केरल में भी महिलायें दहेज प्रथा की बीमारी का शिकार बनी हैं।

उच्च स्तर की साक्षरता के बावजूद महिलायें निर्णय लेने की भूमिका बहुत कम निभाती हैं और वे रूढ़ियों से बन्दी हुई हैं। कयर उद्योग के श्रमिकों में 90% महिलायें होती हैं। किन्तु वे रेशों को अलग करने और कातने जैसे निम्न कामों में ही केन्द्रित रहती हैं। दूसरा एक बढिया उदाहरण चिकित्सा का क्षेत्र है जहाँ 50% महिलायें कार्यरत हैं। परन्तु ज्यादातर महिलायें नर्सों के रूप में काम करती हैं और महिला डाक्टरों और शोधकर्ताओं की संख्या तो बहुत ही कम है।

हालाँकि उच्च राजनीतिक जागरूकता विद्यमान है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतीकरण है, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है।

केरल के सब भागों में विकास के सूचक सकारात्मक नहीं हैं और जहाँ तक महिलाओं की बात है स्पष्टत: और प्रकटत: निम्नतर है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में भारत सरकार ने महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार केरल में करने की उत्सुकता प्रकट की। राजकीय नेतरलाण्ड्स दूतावास से वर्तमान कार्यक्रम निधि को केरल में विस्तृत बनाने की प्रार्थना की गयी। डच ने पहले केरल को भी महिला समाख्या कार्यक्रम में शामिल करना चाहा, क्योंकि केरल भी एक 'डच फ़ोकस' राज्य है।

लिटररी साइन्टिफिक आण्ड चारिटबिल सोसाइटी रजिस्टर्ड आक्ट 12 आफ़ 1995 के अन्तर्गत 31 मार्च 1998 को पंजीकृत की। सोसाइटी को 15 लाख रुपये का प्रारंभिक अनुदान भारत सरकार से मिला। सोसाइटी का कार्यालय 19 जून 1998 से कार्य करने लगा। कार्यालय का काम पूजप्पुरा में एस. सी. ई. आर. टी. के मकान में अस्थायी रूप से 14 अक्तूबर 1998 तक होता रहा। 15 अक्तूबर 1998 से के. एम. एस. एस. का कार्यालय किराये पर लिए एक मकान में (T.C. 15/2037, विमन्स कालेज लेइन, तिरुवनन्तपुरम) कार्यरत हैं।

महिला समाख्या सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक 15 अक्तूबर 1998 की हुई। समिति ने सामान्य पिछड़ापन, महिला साक्षरता का प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तथा गैर सरकारी संगठनात्मक कार्यकलापों के आधार पर विविध मानदण्डों को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित ब्लॉकों को गठित किया।

वामनपुरम ब्लॉक तिरुवनन्तपुरम जिला

अडिमालि ब्लॉक इडुक्की जिला

के. एम. एस. एस. की चयन समिति की बैठक 27 जनवरी 1999 को हुई और राज्य के स्तर पर एक व्यक्ति का और जिला के स्तर पर दो व्यक्तियों का क्रमशः विशेषज्ञों के रूप में चयन किया। श्रीमती मिनि सुकुमार और श्रीमती रोहिणी बी. नायर ने 1 मार्च 1999 को क्रमशः एस. आर. पी. और डी. आर. पी. के रूप में कार्यभार संभाला। इडुक्की जिले केलिए चुन ली गयी उम्मीदवार श्रीमती सुपर्णा नन्दकुमार ने कार्यभार संभालने केलिए अपनी अनिच्छा प्रकट की।

वामनपुरम ब्लॉक

वामनपुरम ब्लॉक तिरुवनन्तपुरम जिले के उत्तर भाग में स्थित है। इस ब्लॉक में आठ ग्राम-पंचायत हैं और इसका कुल विस्तार 421.5 वर्ग कि. मी. है। ये पेरिंगमला, नन्नियोड, पांगोड, कल्लरा, पुल्लंपारा, वामनपुरम, नेल्लनाड और माणिक्कल हैं। 104499 स्त्रियाँ और 98865 पुरुष सहित कुल जनसंख्या 203314 है। करीब 23509 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं जिन में से 4531 अनुसूचित जाति के और 511 अनुसूचित जनजाति के हैं।

वामनपुरम ब्लॉक विविध कृषि-क्षेत्रों से अनुगृहीत हैं। मुख्य नकदी फसलें रब्बर, चाय, इलायची, काजू आदि हैं। विभिन्न प्रकार की तरकारियों की खेती होती है और टीक, वेट्टी जैसे पेड भी भिन्न भागों में पाये जाते हैं। केले, धान और टापियोका भी इस क्षेत्र में सुलभ हैं।

महिलाओं की साक्षरता का दर 74.52 हैं। इसलिए इस क्षेत्र का शैक्षिक विकास उतना अपर्याप्त नहीं है। इस ब्लॉक में 15 हाइस्कूल, एक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय, 29 यू. पी. स्कूल, 54 एल.पी.स्कूल, 210 अंगनवाडियाँ, 23 प्री-प्राइमरी स्कूल और दो कालेज हैं। लेकिन तकनीकी शिक्षा और पेशावर शिक्षा की सुविधायें नहीं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का शैक्षिक सार अपर्याप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों केलिए आयोजित सुविधायें और कार्यक्रम भी सन्तोषजनक नहीं हैं।

लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख केलिए 13 पी.एच.सी, एक सरकारी अस्पताल, पाँच आर्युवेद औपधालय, एक होमियो औषधालय, एक निजी अलोपति औषधालय, ग्यारह निजी होमियो औषधालय कार्यरत हैं। लेकिन माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख केलिए या शल्य चिकित्या के कोई विशेष विभाग नहीं हैं। अस्पतालों में पलंग, डाक्टरों के थियेटेर, दवायें, पानी का प्रबन्ध, सफाई की सुविधायें, परामर्श सेवा के अनुभाग आदि अपर्याप्त हैं।

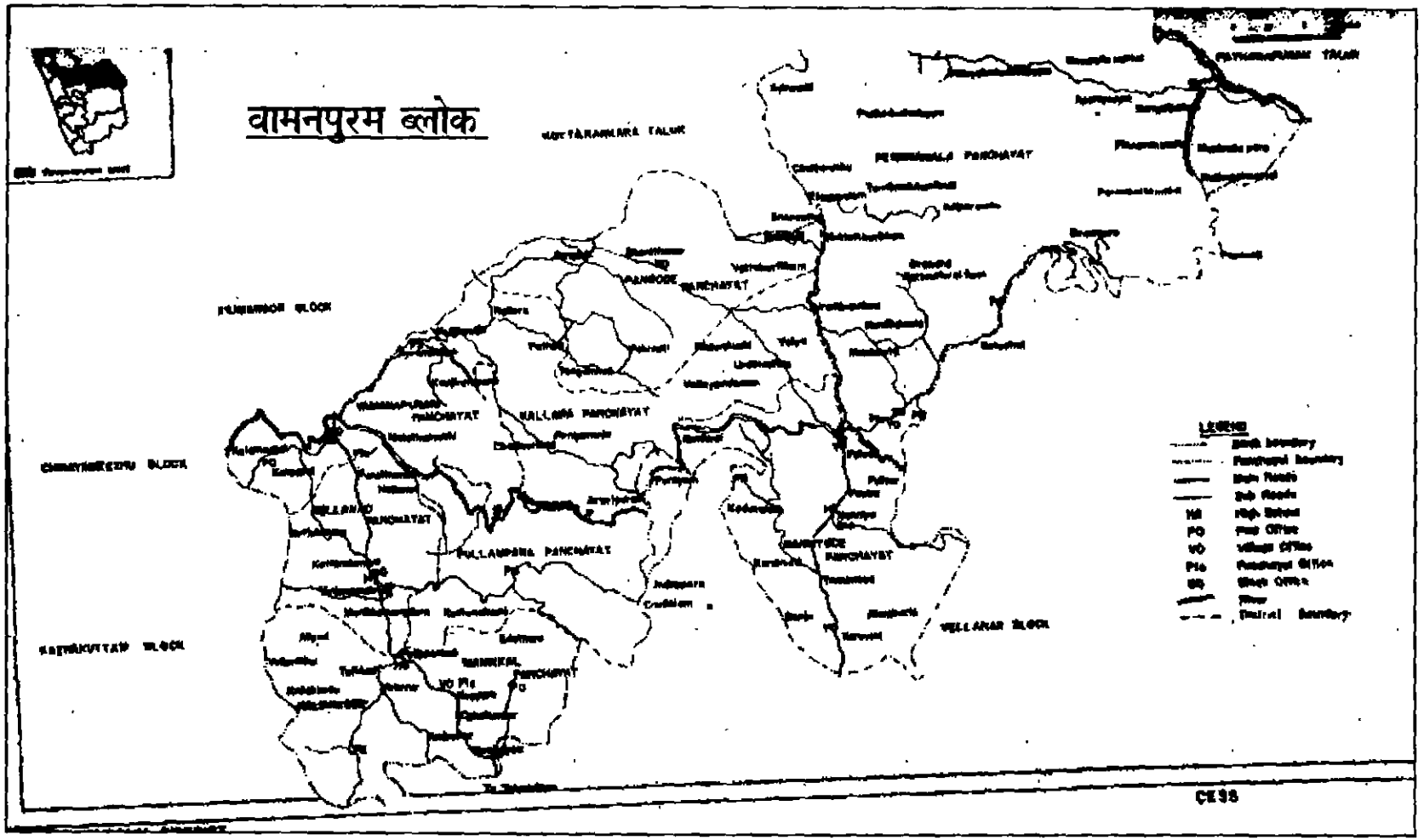

वामनपुरम ब्लोक
CE38

अडिमाली ब्लॉक

इडुक्की के उत्तर भाग में जिला मुख्यालय से 40 कि.मी. दूर अडिमाली ब्लॉक स्थित है। इस ब्लोक में 6 ग्राम-पंचायत हैं और इसका कुल विस्तार 1062.24 वर्ग कि.मी. है। 67962 महिलायें और 70387 पुरुष सहित इस ब्लॉक भी जनसंख्या 138349 है। इस ब्लॉक के छ: ग्राम पंचायत कट्टंपुषा, अडिमाली, पल्लिवासल, बाइसनवाली, वेल्लत्तूवल और कोन्नत्ताडी हैं। इसके 70% पहाडी इलके हैं। खाद्यान्न का उत्पादन निम्न है। शिक्षा के क्षेत्र में 28 एल.पी.स्कूल, 18 यू.पी. स्कूल, 19 हाइस्कूल, 2 बी.एच.एस. सी और एक प्लस. टू. स्कूल है। यहाँ कई अ- सहायता प्राप्त इंग्लीश मीडियं स्कूल और कई समान्तर कालेज भी कार्यरत हैं। इस ब्लॉक में जनजाति की शिक्षा बहुत पिछडी अवस्था में है। कृषि क्षेत्र में भूमि के 40% में नकदी फसलों की खेती है। जनता के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने केलिए यहाँ सिर्फ एक सरकारी अस्पताल और एक मेजर पी.एच. सी. है। लेकिन इन संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं हैं। सफ़ाई की युविधायें बिलकुल अपर्याप्त हैं।

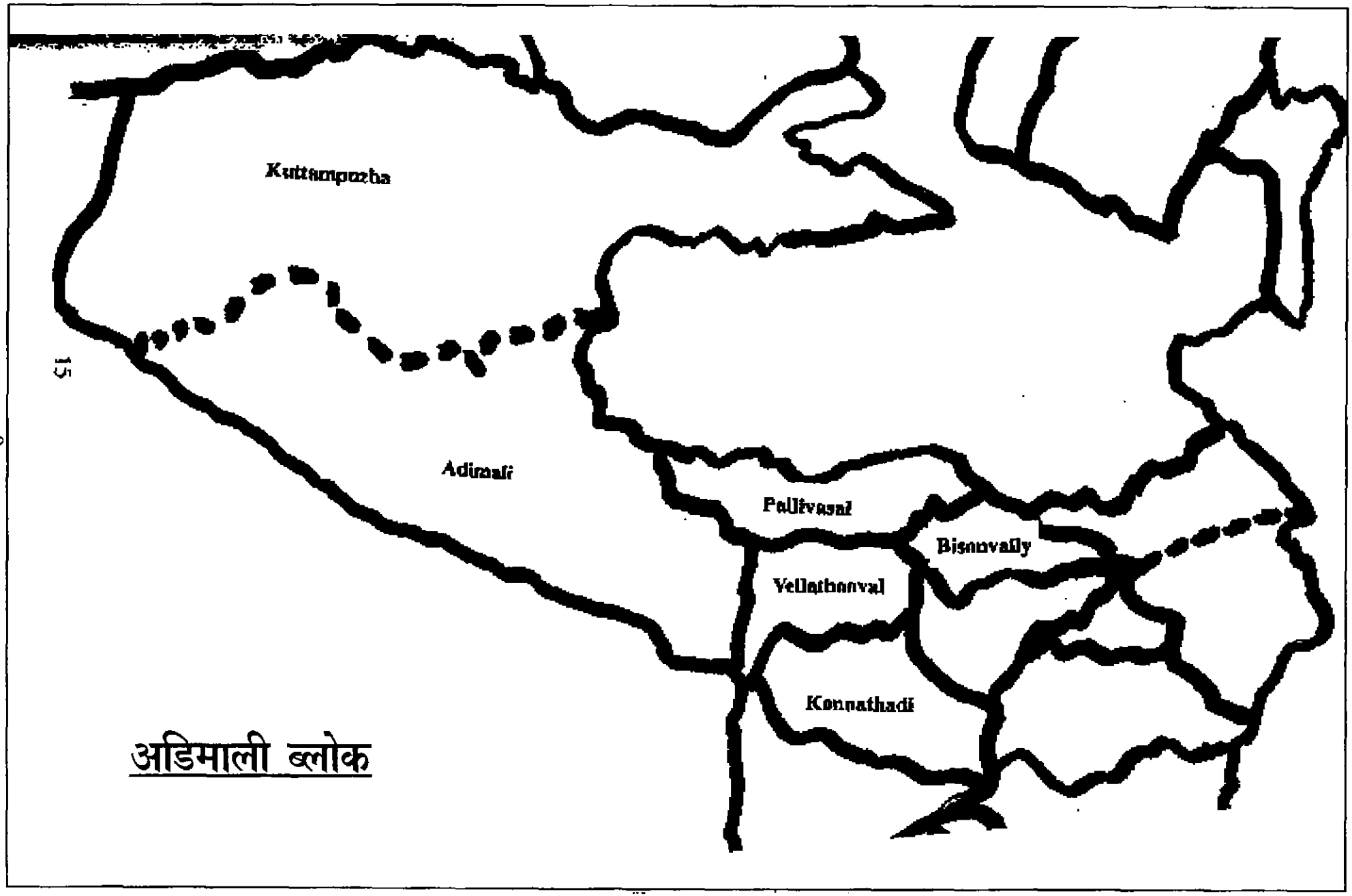
Kuttampuzha
Adimali
Pallivasal
Bisonvally
Vellathanval
Konnathadi

अडिमाली ब्लोक

केरल में महिलाओं के विकास सम्बन्धी अनुभव

महिलाओं केलिए किया जानेवाला विकास बहुचर्चित विषय है। किन्तु अब भी "महिलाओं का विकास' शब्दों का प्रयोग कम ही होता है। महिलाओं के विकास से तात्पर्य स्वास्थ्य, नौकरी, लिंग के आधार पर भेदभाव, सामाजिक स्थिति का उन्नयन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों से है। इन भौतिक आधारभूत वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की दशा के संबन्ध में निम्नलिखित बातें व्यक्त होती हैं।

1. दूसरे राज्यों की तुलना में केरल में महिलाओं का शैक्षिक स्तर पुरुषों के बराबर उच्च है।
2. आर्थिक कार्यकलापों में वे पीछे धकेली गयी हैं। श्रम के अवसर बहुत कम हैं और समान वेतन का आश्वासन नहीं प्राप्त है।
3. सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को दूसरा दर्जा ही प्राप्त है। महिलाओं पर जुल्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की बढती हो रही है।

केरल के विकास में यह एक विरेधाभास है कि कल्याणकारी उपलब्धियाँ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उद्धार के साथ मेल नहीं खातीं।

शिक्षा और साक्षरता में राज्य की कीर्ति मिली है। 1991 की जनगणना के आधार पर राज्य की जनसंख्या के 91.8% व्यक्ति साक्षर हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 52% है। महिलाओं की साक्षरता के दर में भी यह प्रकट होता है कि राष्ट्रीय स्तर के 39% के मुकाबले में केरल की महिलाओं की साक्षरता का दर 86.17% है (सारणी।)। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि केरल की उच्च साक्षरता के दर का कारण राज्य की महिलाओं की शैक्षिक श्रेष्ठता है।

केरल और राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता की तुलना

1991	स्त्री	पु.
केरल	86.17	96.62
भारत	39	63.86

राज्य की सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थिनियाँ काफ़ी प्रगति पर है। वर्ष 1994 के दौरान प्रीडिग्री के छात्रों में 54 %, डिग्री के छात्रों में 54% और स्नातकोत्तर स्तर पर 64% लड़कियाँ हैं। यद्यपि करेल की महिला जनसंख्या राष्ट्र की जनसंख्या का 3.9% है तथापि देशभर की उच्च शिक्षा का 6.3% केरल की विद्यार्थिनियाँ है। उसी समय तकनीकी शिक्षा के अनुपात में उनकी उपस्थिति बहुत कम है। स्कूली स्तर पर निम्न तबके के छात्रों द्वारा बीच में ही पढाई छोड देने का दर अपेक्षाकृत अधिक हैं।

स्वास्थ्य

महिला शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के फलस्वरूप स्वास्थ्य की सुधरी हुई दशा है और शिशु मरण का दर भी कम है। भारत में जबकि 1000 शिशुओं में से 80 की मृत्यु होती है, केरल में शिशु-मरण का दर 13 है जो विकसित राष्ट्रों के बराबर है। व्यापक परिवार नियोजन के फलस्वरूप एक औसत परिवार में बच्चों की संख्या को दो कर देने में सफलता मिली है जबकि 30 साल पहले संख्या छ : से अधिक थी। जैसेकि सारणी-2 में दिखाया गया है केरल की जनसंख्या की वृद्धि का दर 1991 में 16% और 1991 में 26% कम हुआ है। भारत के कई राज्यों की स्थिति के विपरीत पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 में 36 अधिक है जो विकसित देशों की स्थिति के बराबर है। फिर भी हाल ही के सर्वेक्षण के मुताबिक अनुसूचित जनजाति तथा मछुआरों में महिलाओं की संख्या में बढती हो रही है। मुख्य रूप से गरीबी और स्वास्थ्य - देखभाल के खर्च में वृद्धि के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है।

सारणी - 2

जनसंख्या की वृद्धि : भारतीय और केरलीय महिलाओं की तुलना

वर्ष	केरल	भारत
1961	24.76	21.51
1971	26.28	28.80
1981	19.24	25.00
1991	14.32	23.50

किसी भी मानदण्ड से देखा जाय तो केरल आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। परन्तु व्यापक और जनकेन्द्रित स्वास्थ्य एवं शैक्षिक नीतियों को अपनाने के कारण केरल ने समग्र विकास की उच्च महत्ता को प्राप्त कर लिया है जिसे अकसर 'केरला मॉडल' कहते हैं। उसी समय यह तो एक बुनियादी अड़चन है कि महिलाओं को हमेशा पीछे की तरफ़ धकेल दिया जाता है।

श्रम

1991 की जनगणना के अनुसार केवल 15.85% केरल की महिलायें काम में लगी हुई हैं जबकि पुरुषों में से 47.58%। सारणी-3 नौकरी के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नौकरी का दर जानने की मदद करती है जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि पुरुषों के मुकाबले में एक-तिहाई महिलायें ही काम में लगी हुई हैं।

सारणी-3

भारत और केरल में श्रम में लगी हुई पुरुषों और स्त्रियों की तुलना

वर्ष	केरल			भारत		
	पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री	कुल
1961	65.66	19.7	42.68	51.1	27.9	42.5
1981	44.89	16.61	30.53	52.62	19.67	36.70
1991	47.58	15.85	31.43	51.56	22.73	37.68

श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की कम हिस्सेदारी का मुख्य कारण लिंग के आधार पर भेदभाव है। मूर्गीपालन, पशुपालन, जलाने की लकडियों को बटोरना जैसे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम काम की श्रम के रूप में माना जाता है और जनगणना में उपेक्षित होता है। यह तो भयप्रद है कि महिलाओं के द्वारा श्रम के क्षेत्र में हिस्सेदारी 1961 में 19.7% से 1991 में 15.85% कम हुई है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढती जा रही है वहाँ अवश्य ही केरल में कम होती जा रही है। अधिकाधिक केरल की महिलायें 'प्रच्छन्न और अप्रकट' श्रम मे लगी हुई हैं।

बेरोज़गारी

केरलीयों में बेरोज़गारी एक सामान्य समस्या है। खासकर पुरुषों की बेरोज़गारी की तुलना में या राष्ट्रीय आंकडों की तुलना में (सारणी 4) राज्य में महिलाओं की बोरोज़गारी ज्यादा है।

सारणी -4

भारत और केरल में बेरोज़गारी (1987-88)

ग्रामीण	पुरुष	स्त्री
भारत	2.8	3.5
केरल	12.5	25
नगरीय	पुरुष	स्त्री
भारत	6.1	8.5
केरल	14.2	34

राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की बेरोज़गारी अधिक गंभीर है। केरल में तो स्थिति अत्यधिक गंभीर है। मसलन, कुल मिलाकर सारे ग्रामीण भारतीय महिलाओं की बेरोज़गारी की तुलना में केरल के ग्रामीण इलाके की महिलाओं की बेरोज़गारी सात गुने से अधिक है। केरल राज्य में रोज़गार दफ्तर में रोज़गारी केलिए पंजीकरण करनेवालों में 54% महिलायें हैं।

श्रमसंरचना

बेरोज़गारी के अलावा परम्परागत उद्योगों की समाप्ति, धान्य की खेती में सुस्ती, कृषि के क्षेत्र में वर्धमान यंत्रीकरण जैसे कारणों से भी श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी में कमी पड़ी है। परम्परागत कयर उद्योग और धान्य की खेती जिनमें ज्यादातर महिलायें काम करती हैं उनमें यंत्रीकरण की वजह अनेकों महिलायें बेरोज़गार हो गयी हैं। 1981 में कुल महिला श्रमिकों में से 7.7% महिलायें परम्परागत उद्योगों में काम करती थीं। किन्तु दस साल के भीतर यह प्रतिशत गिरकर 5.9% हो गया। राज्य की महिला श्रमिकों में से 36% महिलायें कृषि के क्षेत्र के कामों में लगी हुई हैं।

श्रम में भेदभाव

1. श्रम कानूनों के द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध का आयोजन होने के बावजूद राज्य की श्रमिक महिलायें कई समस्याओं का सामना करती है। असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाली श्रमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। मामूली भुगतान पर शोचनीय हालतों में असंख्य महिलायें प्रदर्शन-कमरों में, बिक्री में तथा भोज पदार्थों के संसाधन में काम कर रही हैं।

2. परम्परागत उद्योग के क्षेत्र में यंत्रीकरण होने के कारण महिलायें न्यूनतम काम करने केलिए विवश होती है जिसकेलिए कौशल की आवशकता नहीं है। ठेके के श्रम के नाम पर महिलायें अक्सर प्रसूति हितलाभ से वंचित होती हैं। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बावजूद एक ही काम केलिए महिला श्रमिक समान वेतन से भी वंचित कर दी जाती है।

(सारणी - 5)

केरल के कृषि-श्रेत्र के अकुशल श्रमिकों की दैनिक औसत मजूरी

वर्ष	पुरुष	स्त्री
1980-81	11.13	7.91
1985-86	26.08	15.10
1990-91	35.77	21.11
1995-96	77.17	51.17
1996-97	92.18	60.52

यह दयनीय बात है कि केरल में भी जो अच्छे वेतन केलिए मज़दूरों के संघर्ष केलिए विख्यात है, महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता।

गरीबी

केन्द्र और राज्य सरकार ने राज्य में गरीबी दूर करने केलिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आइ. आर. डी.पी., डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. तथा टी.आर. वै.एस. इ. एम. स्वरोज़गारी कार्यक्रमों से अपने लक्ष्य को पाने का दावा तो करते है, परन्तु लाभगोगियों के 40% व्यक्ति ही काम में लग जाते हैं।

सामूहिक स्थिति

आर्थिक प्रक्रिया में महिलाओं के न्यूनीकरण और संसाधनों पर उनके नियंत्रण के अभाव के कारण उनकी सामाजिक स्थिति के सुधार में बाधा पड़ती है। आजकल महिलाओं पर हिंसा और यौन उत्पीडन की घटनायें बढ रहीं हैं। महिलाओं पर किये अपराधों की पंजीकृत संख्या वर्ष 1991 में 1982 से वर्ष 1996 में 4937 तक पहुँच गयी हैं। शिक्षा के प्रचार के बाजजूद सभी जातियों और धर्मों में दहेज की प्रथा तेज़ी से फ़ैल रही है। केरल में सामान्यत: प्रगतिशील राजनीतिक वातावरण होते हुए भी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं के द्वारा तृणमूल स्तर से सक्रिय रूप से भाग लेने पर भी नेतृत्व के स्तर पर यथार्थ में उनकी भूमिका नगण्य है। खेतिहर मज़दूर यूनियन, परम्परागत उद्योगों के मज़दूर यूनियन जैसे मज़दूर यूनियनों जिनमें सामान्य जन सदस्यता प्रमुखत: महिलाओं की है उनमें भी महिलायें नेतृत्व में नाममात्र केलिए है। जिला परिषदों का 34% महिलायें थीं और जिला के स्तर के नेतृत्व में उनका पहुँच जाना प्रशासन के नेतृत्व में उनके अभाव की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण आरंभ था। इस तरह केरल में 4153 महिला ग्राम पंचायत सदस्य, 595 महिला ब्लॉक पंचायत सदस्य, और 116 महिला जिला पंचायत सदस्य हैं। 1991 के बाद भी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इसी साल में हुए जिला परिषद चुनाव में 30% सीटों का आरक्षण महिलाओं केलिए किया गया था। त्री टायर पंचायत राज प्रणाली में 33% आरक्षण प्राप्त होने से ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान वास्तविक हुआ है। केरल के समाज में महिलाओं की वास्तविक रूप में समर्थ बनाने केलिए लिगं के आधार पर भूमिका को पुन: परिभाषित करने में अब देरी नहीं करनी है। महिलाओं के प्रति पूर्वग्रह से निर्मित श्रम कानूनों को पुन:परिभाषित करने केलिए ठोस एवं व्यापक कदम उठाने चाहिए जिससे उनका पारिवारिक बोझ कम हो, और उन्हें जायदाद पर अधिकार और प्रजनन का अधिकार मिलें।

केरल विधान सभा में महिला प्रतिनिधि

पुरुष - स्त्री तुलना

वर्ष	पुरुष	स्त्री	कुल
1956 (टी.सी. विधान सभा)	116	2	118
1957 (केरल विधान सभा)	121	6	127
1962	120	7	127
1968	133	1	134
1970	132	2	134
1977	140	1	141
1980	136	5	141
1982	137	4	141
1987	133	8	141
1991	133	8	141
1996	129	12	141

केरल में जन योजना अभियान ओर उसकी महिला घटक योजना

महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व सहित नई पंचायतराज संस्थाओं के आविर्भाव के साथ ही राज्य में योजना प्रक्रिया की विकेन्द्रीकृत करने का अभियान भी हुआ। परियोजनायें तथा राज्य की वार्षिक योजना का करीब 35 से 40 प्रतिशत स्थानीय स्वशासित संस्थाओं की योजनाओं केलिए अलग रखा है। यह सुनिश्चित करने केलिए कि योजना का निर्माण सहभागितापूर्ण, पारदर्शक, और वैज्ञानिक ढंग से है, विनिर्दिष्ट कार्यविधियाँ निर्धारित की गयी हैं। नये नियत कार्यों का दायित्व संभालने में स्थानीय निकायों को अधिकार देने के हेतु विकेन्द्रीकृत योजना केलिए एक जन-अभियान किया गया है। अभियान द्वारा प्रकट रूप से कथित उद्देश्य राज्य की विकास प्रक्रिया में अधिक लिंग-संवेदनशीलता की भर देना है।

विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न प्रकार है:

- (i) लघु उत्पादक खंड़ों में विशेषकर कृषि एवं गैरबागान कृषि, कुटीर तथा लघु उद्योगों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढाना
- (ii) शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, पीने का पानी आदि सामाजिक खण्डों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। निम्नलिखित तीन सामाजिक उद्देशयों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (अ) कुछ खण्डों में रहनेवाले दलितों, मछुआरों और दूसरे वर्ग के लोगों का पिछड़ापन दूर करके उनको मुख्य धारा में लाना
- (आ) विकास की प्रक्रिया में पारिस्थितिक उद्विग्नता एवं जीवित रखने की स्थिति पर ध्यान देना
- (इ) अन्त में विकास की प्रक्रिया का उद्देश्य ही काम में महिलाओं की सहभागिता को बढाना एवं परम्परागत लिंगभेद पर आधारित श्रमविभाजन को मिटाना है।

लिंगभेदरहित न्याय की प्रतिबद्धता निश्चित कार्यक्रमों द्वारा प्रकट की गयी। ग्रामसभाओं के चर्चा सम्मेलनों के द्वारा जन अभियानों की पहली दशा में ही सहायता चाहनेवालों की पहचान प्राप्त की। महिला कल्याण केलिए एक विषय-समिति अनिवार्य कर दी गयी। ग्रामसभाओं के बाद प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका को विभव एवं संसाधन को निर्धारित करते हुए स्थानीय विकास के विषय में एक रिर्पोट देनी थी। एक विचारगोष्ठी में चर्चा के बाद रिपोर्ट स्वीकार की जाती थी। महिलाओं की स्थिति के विकास की चर्चा एक अलग विषय समिति के द्वारा करना अनिवार्य था। विचारगोष्ठी की सिफ़ारिशों के आधार पर परियोजना सुझावों को तैयार करने केलिए और उन सुझावों में एकसमानता लाने केलिए कार्यदल गठित किये गये। इस एकसमानता में लिंगभेद के आधार पर सामाजिक लागत एवं हितलाभ के निर्धारण का विवरण शामिल था। विशेष रूप से महिला-विकास से संबन्धित परियोजनायें बनाने केलिए एक अलग कार्यदल का होना आवश्यक था। स्थानीय निकायों को प्राथमिकता के आधार पर उन परियोजनाओं का चयन करना था जो चालू वर्ष में लागू कर सकते थे और जिन केलिए योजना दस्तावेज तैयार कर सकते थे। इस दस्तवेज में भी एक अलग अध्याय महिला विकास केलिए अलग रखना है। स्थानीय निकायों को सलाह दी गयी कि योजना अनुदान का 10 प्रतिशत तक ही महिला घटक योजना केलिए सीमित रखा जाय। सामान्य कार्यक्रमों से मिलनेवाले हितलाभ के अलावा अतिरिक्त लाभ मिलने केलिए ऐसा किया गया। अभियान के आरंभ से ही लिंगभेद पर आधारित रियायत योजना प्रक्रिया में सम्मिलित करने केलिए सजग प्रयास जारी था। जन योजना अभियाान के कार्यक्रम एवं उद्देश्य लगभग महिला सामाख्या की तरह है। दोनों कार्यक्रम महिलाओं की हिस्सेदारी और स्थानीय स्तर के विकास में महिलाओं की अपनी भूमिका केलिए अपने नेतृत्व पर बल देते हैं। इसलिए विकेन्द्रीकृत योजना के कारण जो वातावरण बना हुआ है उसमें महिलाओं की सहभागिता से केरल में महिला समाख्या को अपने कार्यक्रमों को लागू करने केलिए और अपनी प्रगति केलिए अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

वर्ष १९९९-२००० की घटनाओं एवं कार्ययोजना की दैनिकी

१९९९ मार्च -मई	: ब्लॉक अधिकारियों के साथ बैठक
	: पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
	: गैर सरकारी संगठनों तथा महिला संगठनों के साथ चर्चा
	: दिल्ली में एस. पी.डी.की बैठक
	: १७ मई को वामनपुरम में ब्लॉक स्तर पर बैठक
	: २४ मई को कार्यकारिणी समिति की बैठक
जून - अगस्त	: परामर्शदाता कामेश्वरी और गीता मोहन ने वामनपुरम ब्लॉक का निरीक्षण किया।
	: वामनपुरम ब्लॉक का निरीक्षण किया।
	: वामनपुरम ब्लॉक के फेसिलिटेटरों की पहचान केलिए स्थानीय स्तर पर बैठकें
	: योजना बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक
	: प्रशिक्षण मापदंड के विकास एवं पंचायत स्तर के फ़ेसिलिटेटरों के चयन को अन्तिम रूप देने केलिए कार्यशाला
	: गुवाहठी में एन. आर. जी में सहभागिता
	: वामनपुरम और इडुक्की के फ़ेसिलिटेटरों की छातबीन एवं चयन
	: राज्य कार्यालय केलिए परामर्शदाता और इडुक्की केलिए डी.आर.पी.का चयन
	: वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी
	: लेखापरीक्षा का काम पूरा किया।
	: एम. एस. कार्यक्रम दस्तावेज का अनुवाद
सितम्बर - नवंबर	: वामनपुरम और इडुक्की में फ़ेसिलिटेटरों की छातबीन एवं चयन
	: राज्य और जिलला स्तर के कार्यकर्ताओं केलिए अभिविन्यास और प्रथम चरण प्रशिक्षण
	: इडुक्की और वामनपुरम में कार्यालय का संगठन
	: कार्यकारिणी समिति की बैठक
	: क्षेत्र कार्य
	: रिपोर्टिंग फ़ारमेट का विकास
१९९९ दिसंम्बर	: चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों केलिए ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला
- २००० मार्च	: फेसिलिटेटरों केलिए पी.आर. ए. प्रशिक्षण
	: अगले साल केलिए कार्ययोजना एवं बजट
	: कार्यकारिणी समिति की बैठक
	: सूचना सामग्री का विकास — स्थानीय स्तर की योजना में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं केलिए मौजूदा योजनायें आदि
	: प्रक्रम प्रलेखीकरण एवं समूह पार्श्वचित्र

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम और पदनाम	सदस्यता की हैसियत
1.	श्री. के. जयकुमार आई. ए. एस सरकार का सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग केरल सरकार	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शालिनी प्रसाद आई. ए.एस. राष्ट्रीय परियोजना अधिकारी महिला समाख्या शिक्षा विभाग, भारत सरकार	भारत के शिक्षा विभाग का नामित व्यक्ति
3.	श्रीमती लिडा जेकब, आई. ए. एस. निदेशक, सामाजिक कल्याण केरल सरकार	राज्य सरकार के शिभा विभाग का नामित व्यक्ति
4.	श्रीमती. इशिता राय आई. ए.एस निदेशक, सामाजिक कल्याण केरल सरकार	राज्य सरकार के सामाजिक कल्याणं विभाग का नामित व्यक्ति
5.	डा. एस.जी. शशिभूषण निदेशक, राज्य साक्षरता मिशन एजेन्सी तिरुवनन्तपुरम	राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का नामित व्यक्ति
6.	श्रीमती अम्मू जोसफ ७१, शीनिवागुलु टैंक बेड ले आडट कोरामंगला, बंगलूर	एन. आर.जी सदस्य
7.	श्रीमती. के. ललिता, 'अन्वेषी' रिसर्च सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीस, ओ. यू. बू-१ उस्मानिया यूनिवेर्सिटी काम्पस, हैदराबाद ५०० ००७	
8.	श्रीमती. ए. शरीफ़ा राज्य समन्ययक डी.डब्लियू. सी. आर. ए. कमिशनरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कमिशनरे ऑफ रूरल डेवलपमेंट तिरुवनन्तपपुरम	सदस्य राज्य ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि

9.	श्रीमती. वी. आर. राधा	सदस्य राज्य वित्त विभाग का प्रतिनिधि
10.	श्रीमती. पी. देवी सदस्या, केरला विमन्यस कमिशन	महिला कर्मठ कार्यकर्त्ता/ प्रमुख शिक्षा विशारद
11.	श्रीमती. शीला स्टीफन सदस्य, जिला पंचायत, इडुक्की एडुंपरत्तु हाउस, तोडुपुषा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट	सदस्य महिला कर्मठ कार्यकर्त्ता प्रमुख शिक्षा विशारद
12.	एफ़. ए., मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	भारत सरकार के शिक्षा विभाग से नामित व्यक्ति
13.	श्रीमती. के. एस. जयश्री श्रीनिवास गोविन्द नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम	नामित व्यक्ति विख्यात शिक्षा विशारदों एवं महिला कर्मठ कार्यकर्ताओं में से भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति

विजयकुमार एंड ईश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

टी.सी. 9/2284
चेरुविलाकम
शास्तमंगलम
तिरुवनन्तपुरम-10
फोन (का) 324580
321182
फैक्स नंबर 328727
(नि) 361769
364038

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने मेसेर्स केरला महिला सोसैटी, तिरुवनन्तपुरम के 31-3-1999 तक का संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ लगाये उक्त अवधि को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा की परीक्षा की है और रिपोर्ट की जाती है कि

(1) जहाँ तक हमारा ज्ञान और विश्वास है, लेखा-परीक्षा केलिए अपेक्षित सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण हमें मिले हैं।

(2) हमारी राय में, लेखाओं से संबन्धित पुस्तकों की परीक्षा करने पर हमें लगता हैं कि सोसैटी द्वारा लेखाओं से संबन्धित उपयुक्त पुस्तकें रखी हुई हैं।

(3) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा सोसैटी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(4) हमारी राय में और हमें दिये गये सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त तुलन-पत्र टिप्पणियाँ सहित एक वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रकट करता है, निम्न लिखित के अनुसार

वर्ष 31-3-1999 तक की सोसैटी की स्थिति का तुलन-पत्र और

(iii) उपर्युक्त तारीख तक किये गये आय से अधिक व्यय की आय-व्यय लेखा।

स्थान : तिरुवनन्तपुरम
दिनांक : 6-8-1999

कृति मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

करला माहला समाख्या सासटा

तिरुवनन्तपुरम

31 मार्च 1999 तक का तुलन - पत्र

दायिता	रकम (रुपयों में)		परिसंपत्तियां		रकम (रुपयों में)	
पूँजी निधि		204,589.07	नियत परिसंपत्तियाँ			
चालू दायिता			सकल ब्लॉक		122,589.07	
			न्यून: अवमूल्यन		6,980.00	115,609.07
अप्रयुक्त अनुदान	1,093,683.74		चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम			
लेखा अधिकारी से अग्रिम	10.00		(क) चालू परिसंपत्तियाँ			
टेलीफोन का भाडा देने केलिए	4,280.00		नकद		517.74	
लेखा परीक्षा शुल्क	3,500.00		बैंक में बकाया			
		1,101,473.74	टी.बी.ए.ए/सी. नं		1,097,884.00	1,096,401.74
			(ख) कर्ज और अग्रिम			
			जमा भाडा		24,000.00	
			टेलिफोन जमा			
			- ओ. आइ. टी	30,000.00		
			- नॉन ओर. आइ. टी.	3,000.00	33,000.00	
			कार बुकिंग जमा		25,000.00	
			प्री पेइड टेलिफोन भाडा		902.00	
			प्री पेइड सदस्यता शुल्क		2170.00	
						85,072.00
			आय और व्यय लेखा:			
			आय से व्यय अधिक			6,980.00
कुल		**1,306,062.81**			कुल	**1,306,062.81**

स्थान: तिरुवनन्तपुरम
तारिख : 06-8-1999

हमारी समतिथि की रिपोर्ट देखें।

कृते मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्चरन
चार्टेड अकाउंटेंट्स

चयरमान

ह.
मेम्बर सेक्रटरी

लेखा अधिकारी

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

केरला महिला समाख्या सोसैटी

तिरुवनन्तपुरम

31-3-1999 तक की नियत परिसंपत्तियों की अनुसूची

ब्यौरे	जोड			कुल	दर (%)	अवमूल्यन	31-3-1999 तक डब्लियू. डी. वी.
	1-4-98 तक लागत	30-9-98 तक लागत	30-9-98 के बाद				
फर्नीचर व फिटिंस	0.00	0.00	113,498.07	113,498.07	10	5,675.00	107,823.07
रसोई के बरतन/उपकरण	0.00	1346.00	746.00	2092.00	25	430.00	1,662.00
किताबें	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	25	875.00	6,124.00
कुल	**0.00**	**1346.00**	**121,243.07**	**1228,589.07**		**6,980.00**	**115,609.07**

स्थानः तिरुवनन्तपुरम
तारीख : 06-8-1999

हमारी समतिथि की रिपोर्ट देखें।
कृते मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्वरन
चार्टेड अकाउंटेंट्स

चेयरमान

ह.
मेम्बर सेक्रटरी

लेखा अधिकारी

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

करला माहला समाख्या सासटा

तिरुवनन्तपुरम

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

व्यय	रकम (रुपयों में)		आय	रकम (रुपयों में)	
प्रबंध लागतः			सहायक अनुदान, भारत सरकार	1,500,000.00	
१. मानदेय					
लेखा अधिकारी	73,105.00		जूनः पुंजी निधि में		
चपरासी	7,480.00		अन्तरित अनावर्ती मदों		
राज्य समरीय विशेषज्ञ	2,582.00		की अप्रयुक्त रकम	204,589.07	
जिला स्तरीय विशेषज्ञ	4,500.00	87,667.00		1,295.410.93	
II. T.A./ D.A		4,513.00			
			न्यूनः तुलन पत्र में अन्तरित		
			अप्रयुक्त रकम	1,093,683.74	201,727.19
			आय से व्यय अधिक		6,980.00
कार्यालय व्यय	5,002.90				
किराया	56,000.00				
डाक प्रभार, टेलिफोन व तार	5,665.00				
मुद्रण व लेखन-सामग्री	2,357.25				
विध्त प्रभार	1,467.00				
विज्ञापन	20,398.00				
बैंक प्रभार	80.00				
लेखा परीक्षक की फ़ीस	3,500.00				
सदस्यता शुल्क	830.00				
समाचार पत्र और पत्रिकायें	1,064.00				
कार्यालय उद्घाटन व्यय	8,172.23				
सम्मेलन व्यय	1,786.91				
आकस्मिक व्यय	3,223.90	109,547.19			

कुल प्रबन्ध व्यय (I + II + III)	201,727.19		
IV. अवमूल्यन	6,980.00	कुल	208,707.19
कुल	208,707.19		

हमारी समतिथि की रिपोर्ट देखें।

कृते मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्वरन

चार्टेड अकाउंटेंट्स

चेयरमान

ह.
मेम्बर सेक्रटरी

लेखा अधिकारी

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

करला माहला समाख्या सासटा

तिरुवनन्तपुरम

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

व्यय	रकम (रुपयों में)	आय		रकम (रुपयों में)
सहायक अनुदान, भारत सरकार		प्रबंध व्यय:		
		भारत सरकार		
प्राप्ति नं. 2091/98/G. ई. डी. एन. देखें	1,500,000.00	I मानदेय:		
लेखा अधिकारी से अग्रिम	10.00	लेखा अधिकारी	73,105.00	
टेलिफोण का भाषा देने केलिए	4,280.00	चपरासी	7,480.00	
लेखापरीक्षा शुल्क केलिए	3,500.00	राज्स्तरीय विशेषज्ञ	2,582.00	
		जिला स्तरीय विशेषज्ञ	4,500.00	87,667.00
		II यात्रा भत्ता/दैनि बत्ता		4,513.00
		III कार्यालय व्यय	5,002.90	
		किराया	56,000.00	
		डाक प्रभार, टेलिफोन व तार	5,665.00	
		मुद्रण व लेखन-सामग्री	2,357.25	
		विध्युत प्रभार	1,467.00	
		विज्ञापन	20,398.00	
		बैंक प्रभार	80.00	
		लेखा परीक्षक की फ़ीस	3,500.00	
		सदस्यता शुल्क	830.00	
		समाचार पत्र और पत्रिकायें	1,084.00	
		कार्यालय उद्घाटन व्यय	8,172.23	
		सम्मेलन व्यय	1,786.91	
		आकस्मिक व्यय	3,223.90	109,547.19
		कुल प्रबन्ध व्यय (I + II + III)		201,727.19
		ऋष और अग्रिम:		
		किराया जमा		24,000.00
		टेलीफोन जमा		
		- ओ. आइ. टी.	30,000.00	
		- नॉन ओ. आइ. टी.	3,000.00	33,000.00
		कार बुकिंग जमा		25,000.00
		प्री पेइड टेलिफोन किराया		902.06

	ग्री पेइड सदस्यता शुल्क	2,170.00	85,072.00
	पूंजी व्ययः		
	फर्नीचर व फिटिंग्स	113,498.07	
	रसोई के बरतन/उपकरण	2,092.00	
	किताबों की खरीदारी	6,999.00	122,589.07
	बकाया निम्न प्रकारः		
	नकदी	517.74	
	बैंक में जमा		
	टी. पी. ए. अकाउंट नं.	1,097,884.00	1,098,401.74
कुल	**1,507,790.00**	कुल	**1,507,790.00**

हमारी समतिथि की रिपोर्ट देखें।
कृते मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्वरन
चार्टेड अकाउंटेंट्स

चेयरमान

ह.
मेम्बर सेक्रटरी

लेखा अधिकारी

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

लेखा के अंश रूपी टिप्पणियाँ

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. संलगन वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा एवं उपचय आधार पर तैयार किया गया है।
2. आय कर नियमों के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों के अवमूल्यन का परिकलन किया गया है।
3. सहायक अनुदान का लेखाकरण :

वर्ष 1998 - 1999 के दैरान सोसैटी ने भारत सरकार से 15,00,000 रूपये का अनुदान प्राप्त किया है। चूँकि अनुदान से संबन्धित शर्त उपलब्ध नही है, इसलिए रकम का विनियोजन निम्न लिखित खातों में रखा है।

(क) पूंजी निधि खाता	
(पूंजी परिसंपत्तियाँ भी लागत के लिए)	रु. 2,04,589.07
(ख) आय और अनावर्ति अनुदान के लिए व्यय लेखा	रू. 2,01,727.19
(ग) अपयुक्त अनुदान	
(अप्रयुक्त शेष)	रू. 10,93,683.74

४. एक कर्मचारी के संस्था में कार्यग्रहण के पूर्व कीअवधि के 3,627 रूपये के महँगाई बत्ते का बकाया वेतन और भत्ता खाते में डेबिट किया है।

स्थान : तिरुवनन्तपुरम
दिनांक : 6-8-1999

कृति मेसेर्स विजयकुमार एण्ड ईश्वरन
चार्टेड अकाउंटेंट्स

(एस. विजयकुमार)
पार्टनर

केरला महिला समाख्या
टि.सि. १५/२०३७, विमेन्स कोलेज लैन
वषुतक्काड, तैक्काड - पि. ओ.
तिरुवनन्तपुरम - ६९५ ०१४